न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण कमांक : 1416–एक/2016 निगरानी – विरूद्ध – आदेश दिनांक 31–7–2014 – पारित द्वारा – तहसीलदार इन्दनगढ़ जिला दतिया – प्रकरण कमांक 2 अ–27/13–14

सुनील कुमार पुत्र सीताराम निवासी
ग्राम इन्दरगढ़ जिला दतिया,म0प्र0 ———आवेदक

विरूद्ध

1– सीताराम पुत्र ग्यासीराम
2– संतोष पुत्र ग्यासीराम
3– रबिकुमार पुत्र ग्यासीराम
सभी ग्राम इन्दरगढ़ तहसील इन्दरगढ़
जिला दतिया मध्य प्रदेश ———अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक के0के0प्रजापति)
(अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित – एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 11 – 10–2018 को पारित)

यह निगरानी तहसीलदार इन्दरगढ़ जिला दतिया द्वारा प्रकरण कमांक 2 अ –27/ 2013–14 में पारित आदेश दिनांक 31–7–2014 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदकगण ने तहसीलदार इन्दरगढ़ को आवेदन देकर मौजा इन्दरगढ़ की भूमि सर्वे कमांक 737/1 मिन 3 क रकबा 0.360 हैक्टर भूमि के बटवारा किये जाने की मांग की। तहसीलदार इन्दरगढ़ ने प्रकरण कमांक 2 अ –27/ 2013–14 पॅजीबद्ध करके कार्यवाही प्रारंभ की। पेशी 31–7–2014 को प्रकरण लिया गया तथा प्रकरण में इसी दिन पुनश्च कर निर्णय लिया कि पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि पूर्व रा.नि. ने 14–8–12 आदेश प्र.क्र. 3 अ 3/11–12 से तरमीम की है जबकि प्रवाचक ने रिपोर्ट में अंकित किया है कि उक्त प्रकरण दायरे में दर्ज नहीं है

तथा अभिलेख में भी उपलब्ध नहीं है। इससे प्रतीत होता है कि वगैर किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के नक्शे में बटांकन की कार्यवाही की गई है जिसे निरस्त किया जाता है । रा.नि./ पटवारी को आदेशित किया जाता है कि पुनः सभी सहखातेदारों की उपस्थिति में वादग्रस्त सर्वे नंबरों का बटवारा तथा बटांकन फर्द प्रस्तुत करें। तहसीलदार इन्दरगढ़ के इसी अंतरिम आदेश के विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि मौजा इन्दरगढ़ की आराजी क्रमांक 737/1 आवेदक के स्वत्व की भूमि है जिसका नक्शा आदेश दिनांक 14-8-12 से तरमीम किया गया, परन्तु तहसीलदार व्दारा आवेदक को सुनवाई का अवसर दिये बिना एंव सूचना दिये बिना उक्त तरमीम आदेश को इस आधार पर खारिज कर दिया कि ऐसा कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है। जब पटवारी रिपोर्ट दे रहा है कि राजस्व निरीक्षक ने नक्शा तरमीम किया है ऐसे अभिलेख को देखे बिना ही यह निर्णय लेना कि ऐसा कोई प्रकरण नहीं है ? तहसीलदार का आदेश अनुचित है इसलिये तहसीलदार का आदेश दिनांक 31-7-2014 निरस्त किया जाय एंव निगरानी स्वीकार की जावे।

5/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को के क्रम में तहसीलदार के आदेश दिनांक 31-7-2014 के अवलोकन से परिलक्षित है कि जब तहसीलदार का प्रवाचक रिपोर्ट दे रहा है कि राजस्व निरीक्षक व्दारा नक्शा तरमीम के जिस प्रकरण का उल्लेख अभिलेख में किया गया है ऐसा प्रकरण दायरा पंजी में दायर नहीं है एंव प्रकरण उपलब्ध नहीं है , तब तहसीलदार व्दारा लिया गये निर्णय में किसी प्रकार की विसंगति नहीं है। तहसीलदार के अंतरिम आदेश दिनांक 31-7-14 के अंत में इस प्रकार का निर्णय है -

राजस्व निरीक्षक / पटवारी को आदेशित किया जाता है कि पुनः सभी सहखातेदारों की उपस्थिति में वादग्रस्त सर्वे नंबरों का बटवारा तथा बटांकन फर्द प्रस्तुत करें।

स्पष्ट है कि जब राजस्व निरीक्षक एंव हलका पटवारी व्दारा स्थल पर जाकर समस्त सहखातेदारों को सूचित कर बटवारा तथा बटांकन फर्द तैयार की जावेगी, उनके समक्ष

आवेदक राजस्व निरीक्षक द्वारा पूर्व में दिये गये बटांकन आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करके पक्ष रख सकता है, जिसके कारण विचाराधीन निगरानी सारहीन प्रतीत होती है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव तहसीलदार इन्दरगढ़ जिला दतिया द्वारा प्र0क02 अ -27/ 2013-14 में पारित आदेश दि0 31-7-14 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर